



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 591 राँची, मंगलवार

12 जून, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

30 मई 2018

संख्या-03नि0प0-24/2016 रा0नि0आ0 992.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क एवं 65 क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पूर्वी सिंहभूम	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(01)	आदित्य कुमार महतो, ग्राम-कुईयानी, पो0-कुईयानी, पंचायत-कुईयानी, प्रखण्ड-बोड़ाम	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(01)	भक्त रंजन महतो, ग्राम-गौरडीह, पो0-छोटा बांगुड़दा, पंचायत-मुकरुडीह, प्रखण्ड-बोड़ाम	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(01)	मिहिर कुमार महतो, ग्राम-मुचिडीह, पो0-कुईयानी, पंचायत-कुईयानी, प्रखण्ड-बोड़ाम	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(01)	रूप नारायण मोदक, ग्राम-दुन्दू, पो0-छोटा बांगुड़दा, पंचायत-गौरडीह, प्रखण्ड-बोड़ाम	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(03)	रातुली सिंह, ग्राम-खेडुवा, पो0-दिघी, पंचायत-खेडुवा, प्रखण्ड-पटमदा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(04)	दीपक महतो, ग्राम-लुआबासा, पंचायत-लुआबासा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(04)	रामचन्द्र महतो, धानचटानी, लुआबासा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(04)	शंकर महतो, ग्राम-लुआबासा, पंचायत-लुआबासा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(05)	अंजु देवी, विवेकनगर, छोटागोविन्दपुर, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10		XXIV पूर्वी सिंहभूम-(05)	प्रेमलता, क्वार्टर नं0-55/2/3, ग्राम-छोटागोविन्दपुर, पंचायत-पू0 छोटागोविन्दपुर, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

11	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(05)	शाहजहा खातुन, बारीनगर, उ0 घोड़ाबान्धा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(06)	जितेन्द्र कर्मकार, राहरगोड़ा, म0 गदड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(06)	मितुन चक्रवर्ती, शंकरपुर, उ0 सरजामदा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(06)	विकास राय, राहरगोड़ा, म. गदड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(06)	विनय पुर्ती, जानेगोड़ा, सरजामदा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(07)	शिवानी बोस, मकदमपुर, परसुडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	अंकलेश गिरि, गांधीनगर, बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	गजाधर शर्मा, बागबेड़ा, बड़ौदा घाट, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	जगदीश पाण्डेय, बड़ौदा घाट, बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	दिलीप कुमार, बाबाकुटी, बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	पुनीत यादव, बजरंग टेकरी, बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	बाघराय मुर्मू, पश्चिम बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	राजू सिंह, ग्राम-नया बस्ती, बागबेड़ा, पंचायत-उत्तरी बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	डॉ0 राजेन्द्र मिश्र, ग्राम-नया बस्ती, बागबेड़ा, पंचायत-उत्तरी बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 12 जून, 2018

25	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	रामा तिर्की, नया बस्ती बागबेड़ा, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	रिचर्ड पुर्ती, ग्राम-बागबेड़ा कॉलोनी, पंचायत-बागबेड़ा कॉलोनी, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	रिलास कुमार, रेलवे कॉलोनी, पो0-टाटानगर, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(08)	सचिदा नन्द उपाध्याय, ग्राम-किताडीह, पंचायत-उत्तर किताडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(09)	धनु टुडू, ग्राम-बेड़ाढिपा, पंचायत-पूर्वी घाघीडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(09)	प्रभात सिंह चौहान, हरहरगुट्ट, उ.घाघीडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(09)	मछुवा हेम्ब्रम, दुखुटोला, उ. करनडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(09)	शंकर सिंह, हरहरगुट्ट, घाघीडीह, प्रखण्ड-गोलमुरी-सह-जुगसलाई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(12)	कविता गोप, ग्राम-जुड़ी, पो0-जुड़ी, प्रखण्ड-पोटका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(12)	रीना महाकुड़, ग्राम-रोलाडीह हेंसड़ा, पो0-रसुनचोपा, पंचायत-हेंसड़ा, प्रखण्ड-पोटका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(13)	सुनाराम सोरेन, ग्राम-नारदा, पो0-नारदा, प्रखण्ड-पोटका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(14)	अनिल सरदार, ग्राम-झरिया, पो0-भाटिन, प्रखण्ड-पोटका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(14)	निरूप हॉसदा, ग्रा0-जहातु, पो0-पोटका, प्रखण्ड-पोटका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(15)	आरती सिंह, ग्राम-नरसिंहपुर, ग्रा0पं0-बाघुड़िया, प्रखण्ड-घाटशिला	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(16)	शुरुवाली हॉसदा, ग्राम-महिषडुबा, ग्रा0पं0-भादुआ, प्रखण्ड-घाटशिला	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(17)	लक्ष्मी मुर्मू, ग्राम-पावड़ा, ग्रा0पं0-पावड़ा, प्रखण्ड-घाटशिला	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

41	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(18)	श्री कारिया हाँसदा, ग्राम-कुमीरमुड़ी, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(18)	श्री चक्रबानरा, ग्राम-सोमायडीह, पो0-केन्दाडीह, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(18)	श्री भुक्तु मार्ली, ग्रा0-बेनाशोल, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(19)	श्री आनन्द हेम्ब्रम, ग्राम-न्यू कॉलोनी, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(19)	श्री प्रधान मुर्मू, ग्राम-पारुलिया, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(19)	श्री लोक लोचन माहली, प्रखण्ड-मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
47	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	परमित कुमार पूर्ति, ग्राम-सातबखरा, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	भगत बास्के, ग्राम-कुण्डालुका, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	भगत हाँसदा, ग्राम-फुलझरी, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
50	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	मनोज कुमार मुर्मू, ग्राम-काशीडीह, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	मोहन किस्कू, ग्राम-भीतर आमदा, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
52	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(20)	लखन चन्द्र मार्ली, कासमार, प्रखण्ड-डुमरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
53	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(21)	कारमी हाँसदा, ग्राम-गुड़ा, प्रखण्ड-गुड़ाबांदा,	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
54	XXIV पूर्वी सिंहभूम-(24)	चामरू सोरेन, ग्राम-गड़गड़िया, पो0-पिताजुड़ी, प्रखण्ड-चाकुलिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),

उप निर्वाचन आयुक्त,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-390 राँची, सोमवार,

2 अगस्त, 2021 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

12 मार्च, 2021

संख्या-03नि0प0-06/2019 रा0नि0आ0 183—यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनो पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में संलग्न सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पूर्वी सिंहभूम	XXIV पूर्वी सिंहभूम –(19)	ठाकुर हाँसदा, ग्राम-भदुवा, मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXIV पूर्वी सिंहभूम–(19)	देवराय हाँसदा, ग्राम-विक्रमपुर, मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0/—

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
